Speed-Post

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांकः प.1 (2) (5)/डीएमई/19/ 3144 दिनांकः 5/7/19.

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश सं. प.1(2)(5)/डीएमई/19/1090 दिनांक 07.03.2019 के द्वारा क्र.सं. 02 पर श्री श्याम खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण की कनिष्ठ सहायक (परिवीक्षाधीन प्रशि.) के पद पर नियुक्ति करते हुए शर्त सं. 10 के अनुसार 07 दिवस में पद का कार्यभार संभालने के लिए निर्देशित किया गया था, इस मध्य लोक सभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण इन्होने दिनांक 11.03.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर "आचार संहिता के कारण ड्यूटी ज्वाईन करने में असमर्थता व्यक्त की एवं निवेदन किया है कि मुझे आचार संहिता समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी ज्वाईन कराने के आदेश प्रदान करावे" तत्पश्चात् इस कार्यालय के आदेश सं. 2261 दिनांक 17.05.2019 के द्वारा कार्यग्रहण अवधि में दिनांक 31.05.2019 तक की अभिवृद्धि की गई। उक्त अभिवृद्धि के बावजूद इनके द्वारा कार्यग्रहण नही किया गया बल्कि विभिन्न शर्तों के साथ दिनांक 30.05.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अग्रिम छः माह की अभिवृद्धि चाही गई। इस कार्यालय के पत्रांक प.1(2)(5)डीएमई/19/2696 दिनांक 13.06.2019 के द्वारा आपको सूचित किया गया कि वांछित अवधि में अभिवृद्धि किया जाना संभव नही है।

अतः श्री श्याम खण्डेलवाल द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यगृहण नही करने के कारण नियुक्ति आदेश सं. प.1(2)(5)/डीएमई/19/1090 दिनांक 07.03.2019 की शर्त सं. 10 के अनुक्रम में इनकी नियुक्ति एतद् द्वारा निरस्त की जाती है।

(हस्ताक्षर)
विशिष्ठ शासन सचिव एवं आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव-शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव-विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1 (6) प्रसु/अनु.-3/2017 दिनांक 14.02.2019 के क्रम में ।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. उप निदेशक(एकेडमिक) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
7. सम्बन्धित अभ्यार्थी का पता श्री श्याम खण्डेलवाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, ए-30, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर को सूचनार्थ।
8. व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)
अति० निदेशक (प्रशासन) एवं
पदेन शासन उप सचिव